"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017—— फाल्गुन 6, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 05-95/2016/32. —— यत:, संविधान के अनुच्छेद 48-क, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा परिकल्पित करता है.

और यत:, यह ज्ञात है कि पतंग उड़ाने के लिये प्रयुक्त पक्का धागा, जिसे सामान्यत: चीनी मांझा अथवा चीनी धागा के रूप में जाना जाता है, जो प्लास्टिक तथा सिन्थेटिक सामग्री से विनिर्मित होते हैं जो लोगों को चोटें कारित करती हैं तथा पक्षियों के लिये प्राणघातक है.

और यत:, ऐसा धागा, जो कि गैर विघटनकारी है, कई तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है जिसमें सीवरों, जल निकासी व्यवस्था, नदियों, जलप्रवाहों, जलाशयों को अवरुद्ध करना तथा उसे (धागे को) खा लेने वाले पशु का दम घुटना भी सम्मिलित है.

और यत:, ऐसा धागा, बिजली का सुचालक है, इसके परिणामस्वरूप प्राय: बिजली की लाइनों तथा सबस्टेशनों पर फ्लैशओवर (बिजली कट) हो जाती है, बिजली अवरुद्ध हो जाती है, विद्युतीय संपत्तियों में खिंचाव एवं नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोटें लगती है और जीवन की हानि होती है.

और यत:, पक्षियों की कतिपय प्रजातियां, दुर्लभ और विलुप्त हो रही हैं तथा उनको इस तरह से होने वाली चोटों से सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है.

और यत:, मूल आवेदन क्रमांक 384 सन् 2016, खालिद अशरफ वि. यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में प्रबुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के परिपालन में, इस विषय का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत, राज्य शासन की राय है कि वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के हित में, ऐसे सिन्थेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये.

और यत:, केन्द्र सरकार ने, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य, अब छत्तीसगढ़ शासन को, अपनी अधिसूचना क्रमांक 1(38)/86-पीएल, दिनांक 10 फरवरी, 1988 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अंतर्गत निहित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं.

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य सुरक्षा एवं जैव विविधता पर ऐसे सिंथेटिक धागे के उपयोग के विपरीत प्रभाव के समाधान के लिये तथा ऐसे धागे के विकल्प स्वरूप पर्यावरण हितैषी धागे के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नायलोन, सिंथेटिक अथवा कोई अन्य ऐसे धागे, जो पतले छोटे-छोटे शीशे, धातु या कोई अन्य धारदार सामग्री से युक्त हों जिसमें ऐसे धागे जिसे सामान्यत: चीनी मांझा या चीनी धागा के रूप में जाना जाता है भी सम्मिलित है, के छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करती है.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी निर्देशों का उल्लंघन, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा, जिसके अंतर्गत कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी के साथ जुर्माना जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों, सम्मिलित है, का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 05-95/2016/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 25th February 2017

NOTIFICATION

No. F 05-95/2016/32.— Whereas, Article 48-A of the Constitution envisages protection and improvement of the environment and safeguarding of the forests and wild life of the country.

And whereas, it is known that the pukka thread, commonly known as Chinese Manja or Chinese Dor, used for kite flying, manufactured from plastic and synthetic materials, causes injuries to people, and is fatal for birds.

And whereas, such thread being non-biodegradable, damages the environment in several ways including blockage of sewers, drainage systems, rivers, streams, reservoirs and suffocates animals who may consume the same.

And whereas, such thread is a conductor of electricity, it often results in flash-overs on the power lines and sub-stations, causes power interruptions, straining and damaging of electrical assets, accidents, injuries and loss of life.

And whereas, certain species of birds are getting rare or extinct, and it is imperative to protect them from similarly resulting injuries.

And whereas, incompliance of the order of the Learned National Green Tribunal in Original Application No. 384 of 2016 khalid Ashraf v. Union of India & Others, the State Government upon carefully examining the matter is of the opinion that the use of such synthetic thread be banned in the interest of safety and conservation of wildlife.

And whereas, the Central Government vide its notification No. 1(38)/86-PL, dated 10th February, 1988 has delegated the powers vested in it under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) to the Government of the erstwhile state of Madhya Pradesh, now Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), read with sub-rule (5) of Rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, in order to address the adverse effects of the use of such synthetic thread on general safety and biodiversity, and to promote use of eco-friendly alternatives to such thread, the State Government, hereby, completely prohibits the sale, production,

storage, supply and use of nylon, synthetic or any other such thread coated with finely crushed glass, metal, or any other sharp objects, including threads commonly known as Chinese Manja or Chinese Dor, in the State of Chhattisgarh.

The violation of the directions issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), or the rules made thereunder shall be punishable under Section 15 of the said Act, which includes imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.